संख्या 15/1/2018-पब्लिक
भारत सरकार
मुख्य मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

नॉर्थ कॉक्ट, नई दिल्ली -1
दिनांक 01 अगस्त, 2018

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विक्षर उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन - के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति में दिखानी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती हैं। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संग्रहालयों पर लागू होने वाले कानून, अखबार तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/जीवितों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 जो राष्ट्रीय ध्वज के संग्रहालय को नियंत्रित करते हैं, वे से प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विक्षर उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है (राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 यह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं)। आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृद्धि जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विजापों के माध्यम से वृद्धि प्रचार किया जाए।

2. इसके अलावा इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाग्या गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के उद्घाटनों पर कागज के राष्ट्रीय झंडों के रूप में प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघटन (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्ण उचित निपटान सुनिश्चित करना भी
एक व्यवहारिक समस्या है। अतः, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता, 2002 के प्रावधान के अनुसार, जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा अन्यसबूत के पूर्व होने के पश्चात् ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमींदार पर फेंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुसार एक्टल में किया जाय। आपसे यह भी अनुरोध है कि प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रॉनिक एवं स्टिट मीडिया में विज्ञापन किया जाए।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय,

[Signature]

अवर सचिव, भारत सरकार
dूरभाष सं. 23092421

प्रति प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रीमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. राजस्थान, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. रजिस्ट्रेस्ट्र, सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के निर्यंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केन्द्रीय सत्तान्तर्गत आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संदर्भ और अधीनस्त कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियाँ।
भारतीय झंडा संहिता
2002

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली
भारतीय झंडा संहिता

भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत के लेगों को आशाओं और आर्काक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गीत का प्रतीक है। पिछले पांच दशकों में अनेक लेगों और सशस्त्र सैनिकों ने इस दिवस को पूर्ण गीत के साथ फहराते रहने के लिये सहजता पूर्वक अपने जीवन का बलिदान दिया है।

राष्ट्रीय झंडे के रंगों और इसके मध्य में चक्र के महत्त्व का प्रगटत वर्णन दा राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। दा एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि "भगवा या केसरिया रंग त्याग या निःस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे नेताओं को भौतिक सुखों से विरक्त तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें रचनाई के पथ पर चलने और अपने आचरण को प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और बनसपत्तियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है जिन पर सभी प्राप्ति का जीवन आकित करते हैं। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। इस झंडे तत्काल शासन करने वालों लेगों को सत्य, धर्म या नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पुनरुत्थ सा कार्य का प्रतीक है, जबर्दस्ती संघीतन का प्रतीक है। चलना ही ही मिट्टी है। भारत को परिवर्तन की अन्तेक्षी होनी है, अपनी आगे ही आगे बढ़ना है। चक्र शान्तिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है।"

सब के मन में राष्ट्रीय झंडे के लिए ग्राम, आदर और निष्ठा है। लेकिन प्रायः देखने में आया है कि राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए जो नियम, रिवाज और औपचारिकताएं हैं उसकी जानकारी न तो आमजनता को है और न ही सरकारी संगठनों और एजेंसियों को। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी असंविधिक निर्देशों, संप्रतिक और नाम (अनुसूचित प्रयोग का निकाय) अधिनियम, 1950 (1950 का सं 12) तथा राष्ट्रीय गीत का परिवर्तन नियम (अधिनियम, 1971 (1971 का 69) के उपर्युक्तों के तहत राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन नियंत्रित होता है। सभी के मार्गदर्शन और हित के
लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 में सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है।

सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 को तीन भागों में बांटा गया है। संहिता के भाग I में राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण दिया गया है। आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने के बारे में संहिता के भाग II में विवरण दिया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों व एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का विवरण संहिता के भाग III में दिया गया है।

“झंडा संहिता—भारत” के स्थान पर “भारतीय झंडा संहिता, 2002” को 26 जनवरी, 2002 से लागू किया गया है।
भाग-1

सामान्य

1.1 राष्ट्रीय झंडे पर तीन अलग-अलग रंगों की पट्टियां होंगी जो समान चूड़ाई वाली तीन आयताकार पट्टिया होंगी। सबसे ऊपर भारतीय केसरी रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे भारतीय हरे रंग की पट्टी होगी। बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी जिसके बीचों बीच बराबर की दूरी पर नेवी ब्लू रंग में 24 धारिया वाला अतीत चक्र बना होगा। बेहतर होगा यदि अशोक चक्र स्क्रीन से प्रिंट किया हुआ या अन्यथा छपा हुआ या स्टॉयल किया हुआ या उचित रूप से कड़ाई किया हुआ हो जो सफेद पट्टी के बीच में झंडे के दोनों ओर से स्पष्ट दिखाई देता हो।

1.2 भारत का राष्ट्रीय झंडा भाषा से काटे गए और हाथ से खुले गए ऊनी/सूती/सिल्क खादी के कपड़े से बनाया गया हो।

1.3 राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई (चूड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

1.4 राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार निम्नलिखित होंगे:

<table>
<thead>
<tr>
<th>झंडे का आकार वर्ग</th>
<th>मिलीमीटरों में माप</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>6300 × 4200</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>3600 × 2400</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2700 × 1800</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1800 × 1200</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1350 × 900</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>900 × 600</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>450 × 300</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>225 × 150</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>150 × 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.5 फहराने के लिए समुचित आकार के झंडे का चुनाव किया जाए। 450 × 300 मिलीमीटर आकार के झंडे अतिगणनात्मक व्यक्तियों को हैं जो जाने वाले हवाई जहाजों के लिये, 225 × 150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों और 150 × 100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों के लिए हैं।
भाग-II

आम जनता, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन/प्रयोग

धारा I

2.1 आम जनता, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सिवाय संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950* और राष्ट्रीय गौरव

*संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950

धारा 2: इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) 'संप्रतीक' का अर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी चिह्न, मोहर, झंडा, तत्त्व, कोट-आफ-आम्स या चित्रात्मक स्वरूप से है;

धारा 3: इस समय लागू किसी भी कानून में, कोई बात होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, केंद्र सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार की ओर से प्राधिकृत किया जाए, की पूर्व अनुमति के बिना केंद्रीय सरकार द्वारा यथा-निर्धारित ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, किसी व्यक्ति, कारोबार, आचरणों या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए, किसी पेंटेक्ट के हक में या डिजाइन के किसी त्रैक ग्राफ में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नाम और चिह्न या उससे मिली-जुली किसी नकल के प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करना चाहेगा नहीं रखेगा।

नोट: इस अधिनियम की अनुसूची में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को एक संप्रतीक के रूप में निर्धारित किया गया है।
अपमान निवारण अधिनियम, 1971** तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में बताए गए प्रतिबंध के। उपर्युक्त अधिनियमों में कोई तरह के अनुसार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा—

(i) झंडे का प्रयोग व्यवसायीक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा अन्यथा संप्रति और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन होगा;

(ii) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा;

(iii) झंडे की आधा झुका कर नहीं फहराया जाएगा सिवाय, उन अवसरों के जब सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुका कर फहराने के आदेश जारी किए गए हों;

**राष्ट्रीय गांव अपमान निवारण अधिनियम, 1971**

भाषा 2: कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक रूप से दुर्दशा करता है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को बुरा मानता है, विकृत करता है, विरुद्धित करता है; स्त्रियात्मा करता है; कृपया करता है; कृपया करता है या अन्यथा (माउथिक या विविध शब्दों में अथवा कृत्स्यों द्वारा) अपमान करता है उसे 3 वर्ष तक के कारावास से, या जुर्मने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीकों से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दुर्दशा से संकर के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करने हुए कोई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2—‘भारतीय राष्ट्रीय झंडे’ की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग, झंडा है या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3—‘सार्वजनिक स्थान’ की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक बाहर सामिल है।
(iv) झंडे को किसी भी रूप में लगाने, जिसमें व्यक्तिगत शब्दावली शामिल है, के काम में नहीं लाया जाएगा;

(v) किसी प्रकार की पोशाक या चदी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही तक़किया, समारोह, नेपिकर, अथवा किसी ऐसे सामग्री पर इसे काम का अथवा मुद्रित किया जाएगा;

(vi) झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएगे;

(vii) झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने अथवा छोड़ने के पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा;

लेकिन विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों पर ऐसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें पूलों की पंखुड़ियाँ रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी;

(viii) किसी प्रतिमा के अन्दरवण के अवसर पर झंडे को सम्पादन के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रयोग प्रतिमा अथवा स्मारक के लिए नहीं किया जाएगा;

(ix) झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने और न ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा;

(x) झंडे का जानवृक्षकर जमीन अथवा फसल को छूने अथवा पानी में धसीटने नहीं दिया जाएगा;

(xi) झंडे को चावन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान की वेग़वाह छत, ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा;

(xii) झंडे का प्रयोग किसी भवन में परदा छानने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(xiii) झंडे को जानवृक्षकर "केसरिया" रंग को नीचे प्रदर्शित करके नहीं फहराया जाएगा।
2.2 जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहराया/प्रदर्शित कर सकता है। राष्ट्रीय झंडे को पर्यावरण रखने और उसे सम्मान प्रदान करने के लिए निरनिश्चित बातों को ध्यान में रखा जाएः—

(i) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक करनी चाहिए;

(ii) फटा हुआ या मैला-सुचुला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाए;

(iii) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाए;

(iv) संहिता के भाग-III की धारा IX में की गई व्यवस्था के सिवाय झंडे को किसी बाहर पर नहीं फहराया जाएगा;

(v) यदि झंडे का प्रदर्शन सभा भंडार पर किया जाता है, तो उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुख श्रीयाँ को और हो तो झंडा उनके दाहिनी ओर रहे अथवा झंडे को बक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए;

(vi) जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के साहेब, लेटी हुई और सम्यक स्थिति में किया जाता है तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए और जब वह लम्बाई में फहराया जाए तो केसरी भाग झंडे के हिसाब से दाई ओर होगा (अर्थात् झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति को बाई ओर);

(vii) जहां तक समस्या हो झंडे का आकार इस संहिता के भाग-I में निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार होना चाहिए;

(viii) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं फहराया जाए और न ही पुत्र, माता, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु उसके ध्वज-दंड के ऊपर रखी जाए;

(ix) पूर्णा का गुच्छा या पताका या चन्दनबार बनाने या किसी अन्य प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा;
(x) जनता द्वारा कागज के बने झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल-कूद के अवसरों पर एवं में लेकर हिलाया जा सकता है। परन्तु ऐसे कागज के झंडों को समारोह पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाएगा और न ही जमीन पर फेंका जाएगा। जहां तक सम्भव हो, ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जाए;

(xi) जहां झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है, वहां भीमस को ध्यान में रखे बिना उसे फूर्ष्याद से चुतगात तक फहराया जाता चाहिए;

(xii) झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर न किया जाए जिससे कि वह फट जाए; और

(xiii) जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट कर दिया जाए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी अन्य तरीके से नष्ट कर दिया जाए।

धारा III

2.3 शैक्षिक संस्थाओं (स्कूल, कॉलेज, खेल शिविर, स्काउट शिविर आदि) में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए ताकि मन से झंडे का सम्मान करने के लिए प्रेरणा दी जा सके। मार्गदर्शन के लिए हिदायतें नीचे दी गई हैं:–

(i) स्कूलों के विद्यार्थी इकट्ठे होकर एक खुला वर्गाकार बनायें। इस वर्ग में तीन तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा। प्रधानाध्यापक, मुख्य छात्र और झंडे को फहराने वाला व्यक्ति (यदि वह प्रधानाध्यापक के अलावा कोई दूसरा हो) झंडे से तीन कदम पीछे खड़े होंगे।

(ii) छात्र कक्षाक्रम से दस–दस के दल में (अथवा कुल संख्या के अनुसार किसी दूसरे हिसाब से) खड़े होंगे और वे एक दल के पीछे दूसरे दल के क्रम में रहेंगे। कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पहली पंक्ति की दाई ओर खड़ा होगा और कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति से तीन कदम पीछे बीच में खड़ा होगा। कक्षाएं वर्गाकार में इस प्रकार खड़ी
होगी कि सबसे बड़ी कक्षा सबसे दाई और रहेगी और उसके बाद वरिष्ठता क्रम से अन्य कक्षाएँ खड़ी होगी।

(iii) हर पंक्ति के बीच कम से कम एक कदम (30 इंच) का फासला होना चाहिए और हर कक्षा के बीच में समान फासला होना चाहिए।

(iv) जब हर कक्षा तैयार हो जाए, तो कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के चुने हुए छात्र-नेता का अभिवादन करेगा। जब सभी कक्षाएं तैयार हो जाएं, तो स्कूल का छात्र-नेता प्रधानमंत्री की ओर बढ़कर उनका अभिवादन करेगा। प्रधानमंत्री अभिवादन का उत्तर देगा। इसके बाद झंडा पहराया जाएगा। इसमें स्कूल का छात्र-नेता सहायता कर सकता है।

(v) स्कूल का छात्र-नेता, जिसे परेड (या सभा) का भार सौंपा गया है, झंडा पहराने के ठीक पहले परेड को सावधान (अर्द्धसून्द) हो जाने की आज्ञा देगा और झंडे के लहराने पर परेड को झंडे को सलामी देने की आज्ञा देगा। परेड कुछ देर तक सलामी की अवस्था में रहेगी और फिर "कमान" आदेश पाने पर सावधान (अर्द्धसून्द) की अवस्था में आ जाएगी।

(vi) झंडे को सलामी देने के बाद राष्ट्र गान होगा। इस कार्यक्रम के दौरान परेड सावधान (अर्द्धसून्द) की अवस्था में रहेगी।

(vii) शापथ लेने के सभी अवसरों पर शापथ राष्ट्र गान के बाद ही जाएगी। शापथ लेने के समय सभा सावधान (अर्द्धसून्द) की अवस्था में खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री शापथ पढ़ने और सभा उसको दोहराएगी।

(viii) स्कूलों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शापथ लेते समय निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी:

सभी हाथ जोड़कर खड़े होंगे और निम्नलिखित शापथ दोहराएंगे:

"मे राष्ट्रीय झंडे और लेकेतात्त्वक संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन समाजवादी पंथ-
निरपेक्ष गणराज्य के प्रति निष्ठा की शापथ लेता/लेती हूँ जिसका यह झंडा प्रतीक है।"
भाग-III
केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन

धारा I
रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा तथा दूतावासों/कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा झंडा फहराया जाना
3.1 राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए जिन रक्षा प्रतिष्ठानों के अपने नियम हैं, उन पर इस भाग में कोई गणित व्यवस्था लागू नहीं होगी।
3.2 राष्ट्रीय झंडा विदेश स्थित उन दूतावासों/कार्यालयों के मुख्यालयों और उनके प्रमुखों के आवासों पर भी फहराया जा सकता है जहां राजनीतिक और कानूनी प्रतिनिधियों के लिए अपने मुख्यालयों तथा सरकारी आवासों पर अपने राष्ट्रीय झंडों को फहराए जाने का प्रचलन है।

धारा II
झंडे का सरकारी तौर पर फहराया जाना
3.3 उपर्युक्त धारा I में उल्लिखित व्यवस्था के अध्योपिन सभी सरकारों तथा उनके संगठनों/एजेंसियों के लिए इस भाग में की गई व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा।
3.4 सरकारी तौर पर झंडा फहराने जाने के सभी अवसरों पर केवल उसी झंडे का प्रयोग किया जाएगा जो भारतीय मानक व्यूहों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और जिस पर व्यूहों का मानक चिन्ह लगा हो। दूसरे अवसरों पर भी समृद्धित आकार के ऐसे ही झंडे फहराना चाहिए होगा।

धारा III
झंडा फहराने का सही तरीका
3.5 जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्व स्थान दिया जाना चाहिए और उसे ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जहां वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
3.6 यदि किसी सरकारी भवन पर झंडा फहराने का प्रचलन है तो उस भवन पर यह बवार और छुट्टियों में भी सभी दिन फहराया जाएगा और, इस संहिता में कोई व्यवस्था के अनुसार लोक समूहों तक झंडा फहराया जाएगा, चाहे मौसम कैसा भी बर्फील न हो। ऐसे भवन भर रहे जो भी झंडा फहराया जा सकता है किन्तु ऐसा कोई विशेष अवसर नहीं है जिसका यह का जाना चाहिए।

3.7 झंडे को सदा स्थानीय से फहराया जाए, और धीरे-धीरे वार और आदर के साथ उतारा जाए। जब झंडे को फहराने समय और उतारने समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाय और उतारा जाए।

3.8 जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ या तिरछा फहराया जाए तो झंडे की कंपनी पट्टी सबसे दूर बाले दिल्ली पर होगी।

3.9 जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे आड़ और चौड़ी में किया जाता है तो कंपनी पट्टी सबसे ऊपर रहेगी और जब वह लम्बाई में फहराया जाए, तो कंपनी पट्टी झंडे के हिसाब से दाई और होगी अर्थात् वह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाई और होगी।

3.10 यदि झंडे का प्रदर्शन सभा में रंग रंग पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का युग्म श्रीसन्ताओं की ओर होता है तो झंडे उनके दाहिने ओर रहे; अथवा झंडे को दीवार के साथ वक्ता के पीछे और उससे ऊपर आड़ फहराया जाए।

3.11 किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाए।

3.12 जब झंडा किसी मोटर कार पर लगाया जाता है तो उसे बोतल के आगे बीच-बीच या कार के आगे दाई और कसकर लगाये हुए एक झंडे (स्टाफ) पर फहराया जाए।

3.13 जब झंडा किसी जुलूस या परेड में ले जाया जा रहा हो तो वह मार्च करने वालों के दाई और अर्थात् झंडे के भी दाहिने ओर रहेगा या यदि दूसरे झंडों की भी कोई लाइन हो तो राष्ट्रीय झंडा उस लाइन के मध्य में आगे होगा।
धारा IV
झंडा फहराने को गलत तरीके

3.14 फटा या मैला कुचला झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.15 किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा।

3.16 किसी दूसरे झंडे या पत्ताका को राष्ट्रीय झंडे से कंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, और आगे बढ़ते गई व्यवस्था को छोड़कर, राष्ट्रीय झंडे के बाहर में भी नहीं रखा जाएगा; और न ही कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज-दंड के ऊपर रखी जाएगी, जिस पर झंडा फहराया जाता है। इन वस्तुओं में फूल अथवा मालाएं अथवा प्रतीक भी शामिल है।

3.17 पूली का गुच्छा या झंडियां या बनदनार बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

3.18 झंडे का प्रयोग न तो बच्चा की मेज को ढकने के लिए और न ही बच्चा के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा।

3.19 ‘केसरी’ पट्टी को नीचे रखकर झंडा नहीं फहराया जाएगा।

3.20 झंडे को जमीन, या फर्श छुए या पानी में बसीते नहीं दिया जाएगा।

3.21 झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर नहीं किया जाएगा जिससे कि वह फट जाए।

धारा V
झंडे का दुरुपयोग

3.22 राजकीय/सैन्य/कृष्णीय अर्थ सैनिक बलों से सम्बन्धित शास्त्रियों, जिनके सम्मान में आगे व्यवस्था की गई है, को छोड़कर झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में उपेक्षने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.23 झंडे को वाहन, रेलगाड़ी अथवा नाव की टोपियार छत, बगल अथवा पिछड़े भाग को ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा।
3.24  झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे इस प्रकार नहीं रखा जाएगा कि वह फट जाए या मैला हो जाए।

3.25  जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए, तो उसे फैको नहीं जाएगा और न ही अनादरपूर्वक उसका निपटान किया जाएगा, बल्कि झंडे को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्मांदा के अनुकूल किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए।

3.26  झंडे का प्रयोग किसी भवन में पढ़ी लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।

3.27  किसी प्रकार की पेशावा या बृद्ध के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे गहिरों, रुमालों, बक्सों आदि नेपथों पर काम या छाप नहीं जाएगा।

3.28  झंडे पर किसी प्रकार के अंश नहीं लिखे जाएंगे।

3.29  किसी भी प्रकार के निभावन के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही उस झंडे पर कोई निभावन लगाया जाएगा जिस पर कि झंडा फहराया जा रहा हो।

3.30  झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने या लेने जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

लेकिन विशेष अवसरों तथा पुण्यतिथि दिवस और स्वतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर समारोह के एक अंश के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें पूलों की पेंचुड़ीयाँ खींची जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

धारा VI

झंडे को सलामी

3.31  झंडे को फहराने समय या उतारने समय या झंडे को परेड में या किसी निरीक्षण के अवसर पर लेने जाने समय वहां पर उपस्थित सभी लोग झंडे की ओर युक्त करके सावधान (अंततः) को अपराध में खड़े होंगे। बृद्ध पहने हुए व्यक्ति सम्पूर्ण ढंग से सलामी देंगे। जब झंडा जा रही सैन्य दुकान के साथ हो तो उपस्थित व्यक्ति सावधान खड़े होंगे या जब झंडा उनके पास से गुजरे तो वे उसको सलामी देंगे। गणमान्य व्यक्ति सिर पर कोई वस्त्र पहने बिना भी सलामी के सकते हैं।
भारत VII
राष्ट्रीय झंडे का दूसरे राष्ट्रों के झंडों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के
झंडे के साथ फहराया जाना

3.32 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ एक ही पंक्ति में फहराया
जाए तो उसे सबसे दाई ओर रखा जाएगा, अर्थात्, यदि कोई पर्यवेक्षक झंडों की
पंक्ति के बीच में श्रेणियों को और खुल करके खड़ा होता है तो राष्ट्रीय झंडा उसके
सबसे दाई ओर होगा। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई हैः—
3.33 राष्ट्रीय झंडे के बाद दूसरे राष्ट्रों के झंडे संबंधित राष्ट्रों के नामों के अंग्रेजी वर्णक्रम में अनुसार लगाए जाएंगे। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय झंडे को झंडों की पंक्ति के शुरू में, नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार झंडों की पंक्ति के मध्य में और पंक्ति के अन्त में भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले फहराया जाएगा और सबसे बाद में उतारा जाएगा।

3.34 यदि झंडों को खुले गोलकार में अर्थात अर्धगोलकार में फहराया जाता है तो इस धारा के पिछले खंड में बताई गई कार्यविधि ही अपनाई जाएगी। यदि झंडे एक पूर्ण गोलकार में फहराए जाते हैं तो आरंभ में राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा और दूसरे राष्ट्रों के झंडे चढ़ी की सुई के दिशाक्रम में इस प्रकार रखे जाएंगे कि अन्तिम झंडा राष्ट्रीय झंडे तक आ जाए। गोलकार का आरंभ और अन्त दर्जने के लिए दूसरा राष्ट्रीय झंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बन्द गोलकार में वर्णक्रम के अनुसार अपने स्थान पर भी राष्ट्रीय झंडे को लगाया जाएगा।
3.35 जब राष्ट्रीय झंडा और कोई दूसरा झंडा एक साथ किसी दीवार पर दो ऐसे झंडों पर फहराये जाएं, जो एक-दूसरे को क्रास करते हैं, तो राष्ट्रीय झंडा दायीं ओर अर्थात् झंडे की अपनी दाई ओर होगा और उसका झंडा दूसरे झंडे के ऊपर रहेगा। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है।

![Image of flags]

दर्शाको
3.36 जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किसी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम बाएँ ओर होता है, (अर्थात् झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाएँ ओर) यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई हैः—
3.37 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ फहराया जाए तो सारे झंडों के ध्वज-दंड समान आकार के होंगे। अन्तरराष्ट्रीय परम्परा के अनुसार शांति काल में किसी एक राष्ट्र के झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडे से ऊँचा नहीं फहराया जाता है।

3.38 राष्ट्रीय झंडा एक ही समय में किसी दूसरे झंडे या झंडों के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाएगा। अलग-अलग झंडों के लिए अलग-अलग ध्वज-दंड होंगे।

भाषा VIII

सरकारी भवनों एवं आवासों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना

3.39 सामान्यतः उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिश्नरों के कार्यालयों, जिला चाक़ियों, जेलों तथा जिला बोर्ड के कार्यालयों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदें तथा विभागीय/सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर ही झंडा फहराया जाना चाहिए।

3.40 सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा-शुल्क चौकियों, जांच चौकियों (चॅकपोस्ट), सीमा चौकियों (आउट पोस्ट) और अन्य ऐसी खास जगहों पर, जहाँ कि झंडा फहराने का निरीक्षण महत्व है, राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती गस्ती दलों (बॉर्डर पेट्रोल) के शिविरों पर भी झंडा फहराया जा सकता है।

3.41 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, जब अपने मुख्यालय में हैं, तो उनकी सरकारी आवासों पर, और जब वे अपने मुख्यालयों से बाहर दूर हों, तो जिन भवनों में वे निवास करें, उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए।

लेकिन, सरकारी आवास पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा गणतंत्र व्यक्ति के मुख्यालय से बाहर रहते ही उत्तरदायी जाना चाहिए और वापस मुख्यालय आने पर उक्त भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश होते ही राष्ट्रीय झंडा पन: फहराया जाना चाहिए।

जब गणतंत्र व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौरे पर हैं, तो जिस भवन में वे निवास करें, उस भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश करते ही उस भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए और जब वे उस स्थान से बाहर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा उत्तर दिया जाना चाहिए। तथापि, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल) तक जल्लियांगाला बाग के
शहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्देश राष्ट्रीय उत्तराधिकार के किसी अन्य
विशेष दिनों अथवा किसी रायश के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ के
अवसर पर उक्त सरकारी आवासों पर राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया
जाना चाहिए, चाहे गणमान्य व्यक्ति उन दिनों युद्धभूमि में उपस्थित हों या न हों।

3.42 जब राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री किसी संस्था का दौरा करते हैं
तो उस संस्था द्वारा उनके सम्मान में राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है।

3.43 जब विदेश का कोई गणमान्य व्यक्ति अर्थात् राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति,
सम्राट्, राजा, उत्तराधिकारी युद्धराज या प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर रहे हों और
उस दौरान कोई संस्था उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन करती है तो उस
संस्था द्वारा धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय झंडा और संबंधित
देश का झंडा साथ-साथ फहराए जाएं। यदि वह गणमान्य व्यक्ति उसी दिन किसी
सरकारी भवन का भी दौरा करता चाहे जिस दिन वह उक्त संस्था में आए हों तो उन
सरकारी भवनों पर भी धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार ही राष्ट्रीय झंडा
और संबंधित देश का झंडा साथ-साथ फहराए जाएं।

धारा IX

मोटर कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना

3.44 मोटर-कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित
गणमान्य व्यक्तियों को ही है:-

(1) राष्ट्रपति;
(2) उप-राष्ट्रपति;
(3) राज्यपाल और उप-राज्यपाल;
(4) विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों एवं कार्यालयों के अध्यक्ष;
(5) प्रधान मंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री;
केंद्र के राज्यमंत्री और उपमंत्री;
राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री;
राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उप मंत्री;
(6) लोक सभा के अध्यक्ष;
राज्य सभा के उप सभापति;
लोक सभा के उपाध्यक्ष;
राज्य विधान परिषदों के सभापति;
राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष;
राज्य विधान परिषदों के उप सभापति;
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष;

(7) भारत के मुख्य न्यायाधीश;
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश;
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश।

3.45 पैरा 3.44 के खंड (5) से (7) तक में उल्लिखित गणमान्य व्यक्ति, जब कभी आवश्यक या उचित समझें, अपनी कारों पर राष्ट्रीय झाड़ा लगा सकते हैं।

3.46 जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपल्ब्ध कराई गई कार में यात्रा करे, तो राष्ट्रीय झाड़ा कार के दाई ओर लगाया जाएगा और संबंधित देश का झाड़ा कार के बाई ओर लगाया जाएगा।

धारा X

रेल गाड़ियों और चालूयानों पर राष्ट्रीय झाड़ा लगाया जाना

3.47 जब राष्ट्रपति देश में ही विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना होती है उसहाँ ड्यूटर डी की केंद्रित पर फ्लेटफार्म की ओर राष्ट्रीय झाड़ा तब तक लगाया जाए जब तक गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है। राष्ट्रीय झाड़ा केवल तभी लगाया जाए जब उक्त विशेष रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो या गतत्व स्टेशन पर पहुंच गई हो।
3.48 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री के विदेश यात्रा करते समय उस विमान पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा जिसमें वे यात्रा कर रहे हों। जिस देश की यात्रा की जा रही है उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ-साथ लगाया जाना चाहिए, परंतु मार्ग में जिन-जिन देशों में विमान उतरे तो शिष्टचार और संदभावना के नाते उस झंडे के स्थान पर संबंधित देशों के राष्ट्रीय झंडे लगाए जाएं।

3.49 जब राष्ट्रपति देश में ही कहीं दौरे पर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर लगाया जाए जिस ओर राष्ट्रपति विमान में चढ़े या उससे उतरे।

धारा XI
झंडे को आधा झुकाना

3.50 निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी का निधन होने पर प्रत्येक पदनाम के सामने प्रशस्त धारा झंडा आधा झुका दिया जाएगा:

<table>
<thead>
<tr>
<th>गणमान्य व्यक्ति</th>
<th>स्थान</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>राष्ट्रपति</td>
<td>समस्त भारत</td>
</tr>
<tr>
<td>उप-राष्ट्रपति</td>
<td>दिल्ली</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रधान मंत्री</td>
<td>दिल्ली और राज्यों की राजधानियाँ</td>
</tr>
<tr>
<td>लोक सभा के अध्यक्ष</td>
<td>दिल्ली</td>
</tr>
<tr>
<td>भारत के मुख्य न्यायाधीश</td>
<td>संबंधित समस्त राज्य या संघ शासित क्षेत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>केंद्रीय कोबिनेट मंत्री</td>
<td>दिल्ली</td>
</tr>
<tr>
<td>केंद्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री</td>
<td>संबंधित राज्य की राजधानी</td>
</tr>
<tr>
<td>राज्यपाल</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>उप-राज्यपाल</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>राज्य का मुख्य मंत्री</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संघ शासित क्षेत्र का मुख्य मंत्री</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>राज्य का कोबिनेट मंत्री</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.51 यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन की सूचना अपराध में प्राप्त होती है तो ऊपर बताए गए स्थान या स्थानों पर अगले दिन भी झंडा आधा झुका दिया जाएगा, बसते हुए कि उक्त दिन सूर्योदय से पूर्व अंधेरी न हुई हो।

3.52 ऊपर उल्लिखित गणमान्य व्यक्ति की अंत्येष्ठि के दिन उस स्थान पर झंडा आधा झुका दिया जाएगा जहां अंत्येष्ठि को जानी है।

3.53 यदि किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राजकीय शोक मनाया जाता है तो केंद्रीय गणमान्य व्यक्ति के मामले में समस्त भारत में और किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति के मामले में संबंधित पूरे राज्य या पूरी संघ शासित क्षेत्र में शोकाकर्षण के दौरान झंडा आधा झुका रहेगा।

3.54 किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति का निधन होने पर झंडे को आधा झुकायें जाने और, जहां आवश्यक हो, राजकीय शोक मनायें जाने के संबंध में ऐसे विशेष अनुदेश लगू होंगे जो कि अलग-अलग मामलों में अलग मंश्रालय द्वारा जारी किये जाएंगे।

3.55 ऊपर बताई गई व्यवस्थाओं के बावजूद, यदि झंडे को आधा झुकाने का दिन और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जल्लिश्वाला बाग के शहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उत्सव का कोई अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगाँठ का दिन एक साथ पड़े हैं तो उस भवन को छोड़कर झंडा दिखाने के अन्य दिन और आदेश पर झंडा नहीं झुकाया जाएगा और ऊपर भवन में भी, जहां दिखाने के अनुसार झंडा नहीं झुकाया जाएगा और उस भवन पर भी, जहां दिखाने के अनुसार झंडा नहीं झुकाया जाएगा जब तक कि दिखाने के अनुसार झंडा नहीं झुकाया जाएगा और दिखाने के अनुसार झंडा नहीं झुकाया जाएगा।

3.56 यदि झंडा है जो रही परेड या जुलूस के रूप में शोक मनाया जाता है तो आगे काले कपड़े (क्रॉप) को दो पंपियाया लगा दी जाएंगी जो नि:शुल्क सामान्य रूप से हटकी रहेंगी। इस प्रकार से काले कपड़े (क्रॉप) का प्रयोग सरकार के आदेश से ही किया जा सकेगा।
3.57 जब झंडा झुकाया जाना हो तो उसे पहले एक बार पूरी ऊंचाई तक फहराया जाए और फिर उसे झुकी हुई स्थिति में उतारा जाए किन्तु दिन-भर के बाद शाम को झंडा उतारने से पूर्व उसे एक बार फिर पूरी ऊंचाई तक उठाया जाए।

टिप्पणी: झंडा आधा झुकाए जाने (हाफ-मास्टर) से ताल्वर है झंडे को छोटी तथा ‘गाई लाइन’ के बीच आधे तक नीचे लया जाना और ‘गाई लाइन’ न होने की अवस्था में झंडे को डंडे (स्टाफ) के आधे हिस्से तक झुकाया जाना।

3.58 राजकीय/सैनिक/कैदी के अंदर सैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंतर्गत के अवसरों पर शावपेक्षा या अर्थी झंडे से डंक दी जाएगी और झंडे का कैसरिया भाग अर्थी या शावपेक्षा के अन्य भाग की ओर रहेगा। झंडे को क्रम में उत्फनाया या चिता में जलाया नहीं जाएगा।

3.59 किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष का निधन हो जाने पर उस देश में प्रत्यावृत्ति भारतीय दूतावास अपने राष्ट्रीय झंडे को झुका सकता है चाहे वह घटना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल) तक जलहारी गांव के शहीदों की याद में) अथवा भारत सरकार द्वारा विनिर्देशित राष्ट्रीय उत्सव के किसी अन्य विशिष्ट दिन को ही हुई हो। उस देश के किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति का निधन होने पर भारतीय दूतावास को झंडा नहीं झुकाना चाहिए जब तक कि वहाँ की स्थानीय प्रथा या शिष्टाचार (जिसका पता, जहां-कहां भी आवश्यक हो, राजनीतिक कोर के अधिकता में आफ दि डिफेंसिविटी कोर से लगाया जाना चाहिए) के अनुसार उस देश में विदेशी दूतावास के राष्ट्रीय झंडे को भी झुकाना अपेक्षित न हो।
राष्ट्रीय गौरू अभ्यासन नियमित अधिनियम, 1971
1971 की संख्या 69 (23 दिसम्बर, 1971)

(राष्ट्रीय गौरू अभ्यासन (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संशोधित)
2005 की संख्या 51 (20 दिसम्बर, 2005)

राष्ट्रीय गौरू अभ्यासन नियमित के लिए एक अधिनियम

बसे संचालन भारतीय गणतंत्र के बाल्यवर्ष वर्ष में निम्न प्रकार से अधिनियमित किया गया:-

1. विकास शोध और विषय

   (1) यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरू अभ्यासन नियमित अभ्यासन, 1971 संशोधित गया।

   (2) विषय विश्लेषण संबंधय भारत पर होगा।

2. भारतीय राष्ट्रीय बृहत तथा भारतीय बैठक का अधिनियम

   गौरू भी व्यक्ति को जिसकी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय बृहत या भारत के संस्थान या उनके अधीन या अन्य शासन संबंधित मामले हैं, तत्कालिन कराया गया, नियुक्ति राष्ट्रीय बृहत या भारत के संस्थान, उनके अधीन या अन्य शासन संबंधित मामले हैं।

स्थूलकरण 1 - भारत के संस्थान में संशोधन करने या विषयवस्तु संबंधित संरचना में भारतीय राष्ट्रीय बृहत या भारतीय बैठक से परिवर्तन करने की मांग से संस्थान के किसी उपभोग की आवश्यकता या अवस्थानता या अवगतता करने के लिए राष्ट्रीय बृहत या भारतीय बैठक के अर्थात् अपराध संबंधी किसी बांटी नहीं करती।

स्थूलकरण 2 - "भारतीय राष्ट्रीय बृहत " की अधिनियम के अंतर्गत वो भरोसी तरीके, मैटिंग, उपयोग या फॉर्मयास या भारतीय राष्ट्रीय बृहत या उनके अधीन या अन्य शासन संबंधित मामले हैं।

स्थूलकरण 3 - "सार्वजनिक स्थान" की अधिनियम के अंतर्गत शेष कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए ही अपभ्रष्ट बहुत अच्छी अद्ययन है और व्यक्ति कोई भी सार्वजनिक मामला शामिल है।
भारतीय राष्ट्रीय बंदे के अपभ्रण का अर्थ निम्नलिखित होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होगा:

(ज) भारतीय राष्ट्रीय बंदे का चेहरा अपभ्रण या अनादर करना; या

(ञ) किसी स्थिति या स्थल को दर्शाने देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय बंदे को दुसरा; या

(ञ) सरकार द्वारा जारी अनुपालन शिक्षा अनुसंधानों पर सरकारी खबरों पर भारतीय राष्ट्रीय बंदे को द आशा शुलक पत्रकार आया है, उन अनुसरण के शिक्षा बंदे के आधा शुलक पत्रकार आया है; या

(ञ) राजकीय अंतर्लोकों या सरकार चैनल्स को अन्य अप्रभूतिक बंदों का अंतर्लोकों को जोड़कर बंद के किसी अन्य रूप में शरीदों के लिए प्रयोग कराना; या

(ञ) भारतीय राष्ट्रीय श्रेणी का,

(ि) किसी भी प्रकार की ऐसी वेबसाइट, वर्ग या उपस्थताओं के, जो किसी बाहिर की कारण से नीचे गंवाना जाता है, किसी भाग के लिये नहीं, या

(ि) कृप्या, कृप्या कृप्या, अपेक्षित को तिनी प्रमाण सामग्री पर कानूनी कारण, या जोड़कर, उपयोग कराना; या

(ञ) भारतीय राष्ट्रीय बंदे पर किसी प्रकार का उल्लंघन करना; या

(ञ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस या अन्य विशेष अवसरों पर समारोह के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय बंदे को फहराए जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय बंदे के किसी बालक को प्राप्त करने, पेंशन या स्वयं वाले बने के रूप में प्रयोग करना; या

(ञ) किसी प्रशिक्षा या समारोह या सक्ता के मेज या कागज के नंबर की बालक के लिए भारतीय राष्ट्रीय बंदे का प्रयोग करना; या

(ञ) जानबुझकर भारतीय राष्ट्रीय बंदे को जाने या स्वयं या पानी से बूढ़े देना या पानी पर घसीटने देना; या

(ञ) भारतीय राष्ट्रीय बंदे को किसी वाला, राहत शा, नाम या किसी बाहर का या ऐसे किसी अन्य वर्ष के पुंड, टा कंट्रोल या बागा या निम्न भाग पर लाठियाँ, या

(ञ) भारतीय राष्ट्रीय बंदे के किसी भवन में भर्ती लगाने के लिए प्रयोग करना; या

(ञ) जानबुझकर 'कृप्या' पढ़ने या स्वयं रचना भारतीय राष्ट्रीय बंदे को फहराया।
3. राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना

जो कोई व्यक्ति जानकारें भारतीय राष्ट्रीय गान को गाय जाने से रोकता है या देखा गया वहाँ रही किसी स्थान में व्यवहार पैदा करता है क्योंकि वर्ष तक के आवश्यक, या जुड़ा, या चेतना को चेतना विभाग जाएगा।

* अक: पृष्ठ द्वारा के या बाद के अपराध के लिए न्यूनतम पुल

जो कोई व्यक्ति, जिसे शारा 2 या शारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही पोषित हो गया है, ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से पोषित हो गया जाता है तो उसे पूर्वी बार के या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए जमा के कम एक वर्ष के कार्यालय में छोड़ा जा सकता है।

नोट 1: * राष्ट्रीय गीत, नियामक (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 31, दिनांक 8.5.2003) को लाल को जोड़ा गया।

नोट 2: #राष्ट्रीय गीत, नियामक (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 की संख्या 51, दिनांक 20.12.2005) को लाल को जोड़ा गया।